

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक:स.3-6(1)स्था/मंत्रा/अभि/15/703-50 दिनांक: 6/9/23

**पदोन्नति आदेश**

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में वरिष्ठ सहायक पद की वर्ष 2013-14, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21 व 2021-22 विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन करने हेतु दिनांक 05.09.2023 को आयोजित रिज्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न मंत्रालयिक कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्षों में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	चयन वर्ष जिस पर चयन की सिफारिश की गई।	चयन पर वरिष्ठता जहां निर्धारित की गई	वरिष्ठ सहायक के पद पर पूर्व चयन वर्ष जहां से चयन निरस्त किया गया।
1.	श्री आनन्दी लाल योगी पुत्र श्री सीताराम (स्वर्गवास 17.07.17)	2013-14	श्री रविन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री चन्द्रशेखर के नीचे	2017-18
2.	श्री अनिल मेवाडा पुत्र श्री गोपाल लाल	2013-14	श्री अनुभव व्यास पुत्र श्री विष्णुकान्त के नीचे रहेगी।	2017-18
3.	श्री भानु कुमार धावानी पुत्र श्री रमेश चन्द	2013-14	श्री सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री निरंजन कृपाल के नीचे रहेगी।	2017-18
4.	श्री पूरण सिंह पुत्र श्री मानसिंह जाट	2015-16 रिक्ति की दिनांक 01.04.2015	श्री रामनारायण पुत्र श्री तेजाराम के नीचे रहेगी।	2018-19
5.	श्रीमति शीला देवी पत्नी स्व० श्री कृष्ण मोहन यादव	2015-16 रिक्ति की दिनांक 01.04.2015	श्री मुकेश नीलमणि पुत्र स्व. श्री सुरेश चंद के नीचे रहेगी।	2018-19
6.	श्री हुकुम सिंह पुत्र स्व. श्री दौलत सिंह	2017-18 रिक्ति की दिनांक 01.04.2017	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री दौलत सिंह से नीचे रहेगी।	2020-21
7.	श्रीमति ममता पत्नि स्व. श्री सतवीर	2021-22 रिक्ति की दिनांक 01.04.2021	श्री महावीर पुत्र स्व. श्री गंगाराम के नीचे रहेगी।	—

उक्त पदोन्नति वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई शेष अनुशंसाओं को यथावत रखा गया।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार तालिका में वर्णित क्रं.सं.01 से 06 में पदोन्नत कार्मिकों को दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से नियमानुसार तीन भर्ती वर्ष तक के लिए पदोन्नति से बाहर करते हुए वर्ष 2013-14, 2015-16 व 2017-18 में प्रथम बार विचार नहीं किया गया था अतः इनका वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता है, पर नियत किया जायेगा किंतु

Signature valid

Digitally signed by Raj Sharma  
Designation: Director  
Date: 2023.09.06 17:48:54 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4674713



कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा एवम् क्रं. सं. 07 पर अंकित पदोन्नत कार्मिका को नियमानुसार तीन भर्ती वर्ष तक के लिए पदोन्नति से बाहर करते हुए वर्ष 2021-22 में प्रथम बार वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति से वंचित किया गया था। अतः उपरोक्तानुसार पदोन्नति पश्चात तीन पश्चातवर्ती वर्षों (वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24) के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु काल्पनिक रूप से हकदार होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतन वृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञये होंगे तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों में क्रं.सं. 02 से 06 तक का वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापन वर्तमान कार्यालय में यथावत रखा जाता है। पदोन्नत कार्मिक क्रं.सं 07 के वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेगे।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि) राजस्थान जयपुर।
03. उप/सहायक निदेशक अभियोजन.....
04. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक (कनिष्ठ/वरिष्ठ) अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
05. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Ravi Sharma  
Designation: Director  
Date: 2023.09.06 17:48:54 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4674713

